Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 33 - Lachhmangarh Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri GOVIND SINGH DOTASRA

DHANI KRIPARAM PO. GANERI TEHSIL-NECHHWA DISTRICT-SIKAR sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Sikar

Date: 03 December 2023

(Rajesh Kumar Meena)

Returning Officer
033-Lachhmangarh
Legislative Assembly Const.

Legislative Assembly Constituency

Returning Officer

Assembly Constituency (033) Lachhmangarh
(Sub.Divisional Officer & Sub. Divisional Magistrate)

Lachhmangarh (Sikar)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

33-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा

ढाणी कृपाराम पो. गनेड़ी तहसील - नेछवा जिला - सीकर

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - सीकर दिनांक - 03 दिसम्बर 2023



(राजेश कुमार मीणा) रिटर्निंग अधिकारी 033-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

रिटर्निंग ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,लक्ष्मणगढ़ 33-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र